संलग्नक सं - 2.2A

(8)

(3)

शासनादेश संख्या- 2454/111(2)/05-07(प्रा.आ.)/05टी.सी.। दिनांक 28 अक्टूबर 2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	घराट (कोटद्वार) मुडला मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	139.00	139.00	0.10
2.	कोटद्वार के अन्तर्गत ऐता में खो नदी पर सेतु निर्माण।	80 मी0	112.90	112.90	0.10
3.	कोटद्वार के अन्तर्गत मानपुर गुलरझाला (तेलीपाडा) मार्ग का पक्कीकरण।	3.00	43.95	43.95	0.10
4.	अल्मोडा में ग्राम सभा खरखवाल को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	27.80	27.80	0.10
5.	जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत ग्राम सभा अंगरे (पच्चीसी) को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.10
6.	अल्मोडा के अन्तर्गत ग्राम सभा छनी को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	41.70	41.70	0.10
	अल्मोडा के अन्तर्गत ग्राम सभा खीराकोट धोलडा(तोंटा सिलिंग) व मरूडा जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	7.00	97.30	97.30	0.10
8.	अल्मोडा के अन्तर्गत ग्राम सभा शैल को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	41.70	41.70	0.10
9.	अल्मोडा के अन्तर्गत ग्राम सभा ओखली कोटली एवं बजैल को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.10
10.	जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत ग्राम सभा के अन्तर्गत ताकुला गणनाथ मोटर मार्ग से ग्राम ... थापला को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	41.70	41.70	0.10
11.	जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत अल्मोडा बैजनाथ ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के किमी. 30 में ग्राम सभा पढोलिया को जोडने हेतु मार्ग निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.10
12.	जनपद अल्मोडा में जैंती -खुरडी शिलापानी खनोलिया वनघट मोटर मार्ग का निर्माण	15.00	208.50	208.50	0.10
13.	अल्मोडा में शहीद राजेश अधिकारी विनायक-डूंगा मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.10
14.	जनपद अल्मोडा में चौसली से डोंगा मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00+ 40मी सेतु	188.40	188.40	0.10
16.	जनपद अल्मोडा में पातली बड-गणनाथ मोटर मार्ग का डामरीकरण।	5.00	81.21	81.21	0.10
16.	जनपद अल्मोडा में विधान सभा सल्ट के अन्तर्गत भतरौजखान- निगराली-भिक्यासैण मोटर मार्ग का विस्तार	5.00	82.56	82.56	0.10
17.	जनपद अल्मोडा में जागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चैलछीना -बरान्तपुर जैंती मोटर मार्ग का निर्माण।	[illegible]	139.00	139.00	0.10

28/10/05

फोटो प्रति सत्यापित

अधि. अभि. प्रा.ख., लो.नि.वि., अल्मोडा

संलग्नक सं०-2.2

प्रपत्र-3-

(7)

मा.मु.म.घो.

संख्या-2454/ III-2/05-07(प्र.आ.)/05 टी.सी.

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2005-06 में 109(एक सौ नौ) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं से संबंधित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 109 कार्यों के रूपये 14452.19 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 12938.35 लाख (एक सौ उन्तीस करोड़ अड़तीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 10.90 लाख (रू0 दस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी, और प्रश्नगत योजना हेतु भूमि का कब्जा होने के बाद ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में धनराशि शासन को 31.03.06 तक समर्पित कर दी जायेगी।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

फोटो प्रति, सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा